भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2907
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएसएपी के अंतर्गत लाभार्थी

2907. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार, दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की विभिन्न उप-योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र लाभार्थियों को संतोषजनक ढंग से चिह्नित किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पेंशन राशि बढ़ाने या कवरेज का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को वीबी जी-राम जी योजना के प्रारंभिक चरण में शामिल किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या मनरेगा से वीबी जी-राम जी में परिवर्तन के दौरान दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई प्रायोगिक मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि उक्त परिवर्तन अवधि के दौरान दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में श्रमिकों को उनकी मजदूरी का समय पर भुगतान मिले और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) देश भर में, दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए योजना-वार लाभार्थियों की संख्या पर सीमा/उच्चतम सीमा के साथ 3.09 करोड़ बीपीएल लाभार्थियों की देखभाल करता है।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आगे लाभार्थियों को निधि जारी करते हैं। लाभार्थियों की संख्या की योजना-वार और राज्य-वार उच्चतम सीमा **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) एनएसएपी के अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों की पहचान ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। स्थानीय निकाय पात्र व्यक्तियों की सक्रिय रूप से पहचान करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। आवेदनों का सत्यापन निर्दिष्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा पात्रता मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है और सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन से पहले आवेदकों की सूची ग्राम सभा/वार्ड सभा में विचार-विमर्श के लिए रखी जाती है।

(ग) वर्तमान में, एनएसएपी के अंतर्गत कवरेज/सहायता दर में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 अधिनियमित किया जा चुका है। यह अधिनियम अभी प्रारंभ होना शेष है। प्रारंभ होने पर, अधिनियम के प्रावधान दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होंगे।

(ङ) चूंकि वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 अभी प्रारंभ होना शेष है, अतः महात्मा गांधी नरेगा योजना से वीबी-जी राम जी में अंतरण के लिए मूल्यांकन अध्ययन का प्रश्न अभी नहीं उठता।

(च) चूंकि वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 अभी प्रारंभ होना शेष है, अतः महात्मा गांधी नरेगा योजना दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में लागू हो रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार पात्र श्रमिकों को मजदूरी भुगतान या रोजगार के अवसरों में व्यवधान उत्पन्न किए बिना एक सुचारु अंतरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियम और अंतरणकालीन प्रावधान तैयार करने की प्रक्रिया में है।

*****

अनुबंध

"एनएसएपी के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2907 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

एनएसएपी के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या की योजना-वार और राज्य-वार उच्चतम सीमा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
1	आंध्र प्रदेश	663736	246832	24412	10906	54354
2	बिहार	3157256	635091	127100	35859	166600
3	छत्तीसगढ़	644429	203628	32085	12801	24196
4	गोवा	7308	5886	466	225	420
5	गुजरात	620548	276078	20327	10695	35377
6	हरियाणा	259865	70808	16583	4154	-
7	हिमाचल प्रदेश	93178	21974	853	684	2644
8	झारखंड	985094	266077	26349	14148	54939
9	कर्नाटक	899422	452027	44825	18312	-
10	केरल	458813	368358	19285	4358	36904
11	मध्य प्रदेश	1575079	546920	101470	30826	
12	महाराष्ट्र	1122920	80725	9322	34987	108000
13	ओडिशा	1418631	525045	90283	24697	64800
14	पंजाब	112955	19294	5982	2673	-
15	राजस्थान	823972	315048	30513	12347	47500
16	तमिलनाडु	1282504	574258	64096	18445	66388
17	तेलंगाना	480315	180720	20578	7794	38846
18	उत्तर प्रदेश	4722613	1025236	85773	73075	-
19	उत्तराखंड	204557	23898	2880	4808	-
20	पश्चिम	1281159	726172	59941	21553	65068

	बंगाल					
21	अरुणाचल प्रदेश	5893	288	112	346	1840
22	असम	695997	119955	34579	8524	25308
23	मणिपुर	55891	7075	1005	669	3320
24	मेघालय	55734	8024	1558	781	3580
25	मिजोरम	24524	2278	722	197	1000
26	नागालैंड	45941	3827	1011	535	2600
27	सिक्किम	16928	1469	457	175	960
28	त्रिपुरा	135232	17537	2131	984	5740
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	585	3	2	86	560
30	चंडीगढ़	2378	2486	100	80	440
31	दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव	8754	2109	310	119	358
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	113824	36361	4635	2270	8040
33	जम्मू और कश्मीर	130298	7631	2465	323	10220
34	लद्दाख	6486	443	219	112	7260
35	लक्षद्वीप	155	87	51	9	60
36	पुदुच्चेरी	17713	9821	1271	283	1580
कुल योग		**22130687**	**6783469**	**833751**	**358840**	**831642**

*****